प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.08.2026

ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 315 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये ।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्र) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन साइबर टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 315 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये) की बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर उनके सुपुर्द कर दिये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरण:-

1. **थाना लोनी – 22**
2. **थाना ट्रोनिका सिटी – 30**
3. **थाना अंकुर विहार – 27**
4. **थाना लोनी बॉर्डर – 44**
5. **थाना मसूरी – 59**
6. **थाना मुरादनगर –35**
7. **थाना मोदीनगर – 47**
8. **थाना निवाड़ी- 23**
9. **थाना भोजपुर- 28**

कुल योग – 315

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष के साथ उन्ही के दामाद अमन द्वारा कई बार वादिया की गैर मौजूदगी मे दुष्कर्म किया गया जब वादिया को इस बात का पता चला तो अमन द्वारा वादिया के पुत्री के साथ आत्महत्या करने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 65(1)/352/351(2)/351(3) बी0एन0एस व 5L/5N/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गयी, जांच के क्रम मे पीडिता के बयान 180/183 BNSS, मेडीकल व अन्य साक्ष्य

संकलन से अभियुक्त अमन उपरोक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना व धमकी देना पाया गया, अभियुक्त अमन की तलाश हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया।

दिनांक 13.08.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास के उपरान्त वांछित अभियुक्त अमन पुत्र सतेन्द्र निवासी शनि मंदिर के पास मिसलगढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम भगवानपुर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर सुदामापुरी बिजली घर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया की पीडिता की बडी बहन मेरी पत्नी है, जिससे करीब 01 वर्ष पहले मेरी शादी हुई थी करीब 20 दिन पहले मेरी साली हमारे घर पर रहने आयी थी। जिस पर मेरी नियत खराब हो गयी थी तथा धीरे धीरे करके मैनें उसे अपने प्रेम जाल मे फंसा लिया तथा कई बार मौका पाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध भी बनाये। एक दिन यह बात पीडिता के घर पर पता चल गयी तो उन्होनें मुझे इस बात के लिए कहा तो मैंने उन पर दबाव बनाने के लिए पीडिता को अपने साथ ले जाकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। जब मुझे पता चला कि पीडिता के परिवार वाले ने पुलिस मे मेरी शिकायत कर दी तो पुलिस से बचते हुए इधर उधर घूम रहा थी।

अभियुक्त का नाम व पता

अमन पुत्र सतेन्द्र निवासी शनि मंदिर के पास मिसलगढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता ग्राम भगवानपुर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।